न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00117

बृजमोहन आत्मज श्री सूरजमल जाति मीणा निवासी ग्राम चोमा कोट तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. शाँति बाई पत्नी सूरजमल ।
2. सूरज मल आत्मज फूंदीलाल
3. चौथमल आत्मज फूंदीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम चौमा कोट तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ओमप्रकाश नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 03 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चौमाकोट तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 12 किता की 10.41 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रतिवादी कम 01 का 1/4 हिस्सा एवं वादी एवं प्रतिवादी कम 02 का 1/2 – 1/2 हिस्सा दर्ज तथा फूंदीलाल का 1/4 हिस्सा दर्ज है । वादग्रस्त आराजी में कुछ भूमियॉ तालाब डूब में जा चुकी हैं जिसका मुआवजा भी वादी एवं प्रतिवादीगण प्राप्त कर चुके हैं । खसरा नम्बर 774 की रकबा 2.56 हैक्टर आराजी शामलाती खाते की शेष है । उक्त भूमि में वादी 3/8 हिस्से का खातेदार है । प्रतिवादी उक्त आराजी में वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन

करवाए और विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि को पृथक से अपने खाते दर्ज करावे तथा पृथक लगान कायम करावे ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 774 की रकबा 2.56 हैक्टर में वादी का 3/8 हिस्सा पृथक किया जाकर उक्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि वादी के पृथक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी रामकल्याण को 1/4 हिस्वसे का प्रतिवादी क्रम 02 सूरजमल को 3/8 हिस्से का पृथक से खातेदार दर्ज किया जावे तथा विभाजन में प्राप्त भूमि का वादी को कब्जा संभलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 09.05.2018 के द्वारा वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, सीपीसी की पालना किये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 16.08.2020 को पटवारी हल्का द्वारा बंटवारा रिपोर्ट की कहने पर हुई जिस पर दिनांक 18.08.2020 को उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और बिना वादी की सहमति के इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो अपीलान्ट उपस्थित हो पाये हैं और न ही अपीलान्ट को कोई सूचना दी गई । अपीलान्ट लोक अदालत के आदेश से सहमत नहीं है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के विद्वान् अभिभाषक के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. परीक्षण न्यायालय में वादी के द्वारा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया है पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में सूरजमल प्रतिवादी संख्या 03, शांतिबाई प्रतिवादी कम 02 उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये गये हैं तथा वादी के भी हस्ताक्षर करवाये गये हैं । अपीलान्ट बृजमोहन उपस्थित नहीं हुए हैं । न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर विभाजन की प्राम्भिक डिक्री पारित की गई है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवादावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा